पत्रांक– *15/SWD–05–37/2026* /न०वि०एवंआ०वि०

** ई–मेल स्पीड*
पोस्ट/निबंधित डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना।
*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक–

विषयः– नगर निगम, दरभंगा क्षेत्र अंतर्गत दरभंगा शहर के जल जमाव की समस्या के निदान हेतु विचलन सहीत कुल ₹2727.75 लाख (सताईस करोड़ सताईस लाख पचहत्तर हजार रु०) मात्र की Storm Water Drainage योजना में चलान के माध्यम से विभाग को वापस की गई राशि ₹43.29067 लाख (तैंतालीस लाख उनतीस हजार सरसठ रूपये) मात्र वित्तीय वर्ष 2026–27 में सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर निगम, दरभंगा क्षेत्र अंतर्गत दरभंगा शहर के जल जमाव की समस्या के निदान हेतु नाला निर्माण एवं अन्य सैनिटेशन मद से कुल ₹2560.72700 लाख (पचीस करोड़ साठ लाख बहत्तर हजार सात सौ रु०) मात्र की Storm Water Drainage योजना को विभागीय पत्रांक–6666, दिनांक–12.10.2017 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। वित्तीय वर्ष 2013–14 में नगर निगम, दरभंगा क्षेत्रान्तर्गत दोनार गुमटी से टिनही पुल तक नाला निर्माण हेतु स्वीकृत योजना के लिए आवंटित ₹567.42400 लाख (पाँच करोड़ सड़सठ लाख बयालीस हजार चार सौ रु०) मात्र, विभागीय राज्यादेश संख्या–33, दिनांक–04.06.2021 द्वारा ₹1000.00 लाख (दस करोड़ रु०) एवं विभागीय राज्यादेश संख्या–103, दिनांक–20.10.2022 द्वारा ₹993.303 लाख (नौ करोड़ तिरानवे लाख तीस हजार तीन सौ **रु०**) अर्थात् कुल ₹2560.72700 लाख (पचीस करोड़ साठ लाख बहत्तर हजार सात सौ रु०) मात्र आवंटित किया जा चुका है।

2. प्रबंध निदेशक, बुडको के पत्रांक–1583, दिनांक–25.04.2024 द्वारा Utility Shifting का प्रावधान करते हुये कुल ₹2727.75 लाख का पुनरिक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया था, जो मूल स्वीकृति की राशि से ₹167.02300 लाख (एक करोड़ सरसठ लाख दो हजार तीन सौ रूपये) अधित थी। विभागीय राज्यादेश संख्या–274, दिनांक–15.01.2025 द्वारा विचलन की राशि ₹167.02300 लाख (एक करोड़ सरसठ लाख दो हजार तीन सौ रूपये) बुडको को आवंटित किया जा चुका है।

3. बुडको, पटना के पत्रांक–89, दिनांक–08.01.2026 द्वारा नगर निगम दरभंगा से राज्यादेश सं–99, दिनांक–04.03.20214 द्वारा नगर निगम, दरभंगा को आवंटित ₹1.00 करोड़ की मांग की गई है। उक्त राशि में से नगर निगम, दरभंगा द्वारा ₹56,70,933.00 (छप्पन लाख सत्तर हजार नौ सौ तैंतीस) रूपये मात्र का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करा दी गई है एवं अवशेष राशि ₹43,29,067.00 (तैंतालीस लाख उनतीस हजार सरसठ) रूपये मात्र चालान के माध्यम से विभाग को वापस कर दी गई है।

4. चालान के माध्यम से विभाग को वापस की गई राशि के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ–3 में अंकित योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्तम्भ–7 के अनुरूप ₹43,29,067.00 (तैंतालीस लाख उनतीस हजार सरसठ रू०) मात्र नाला निर्माण एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद से सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:–

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विचलन के फलस्वरूप पुनरक्षित राशि	पूर्व में स्वीकृत राशि	चालान के माध्यम से विभाग को वापस की गई राशि	स्वीकृत राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	दरभंगा शहर के दोनार गुमटी से टिनही पुल तक स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज योजना।	2560.727	2727.75	2727.75	43.29067	43.29067

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि कुल ₹43,29,067.00 (तैंतालीस लाख उनतीस हजार सरसठ रू०) मात्र।

5. योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा किया जा रहा है।

6. स्वीकृत कुल **₹43,29,067.00 (तैंतालीस लाख उनतीस हजार सरसठ रू०)** मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक–17.04.98 एवं वित्त विभाग के पत्रांक–236, दिनांक–09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि बुडको, के PL खाता सं०– PTSPLA006, HoA संख्या–00-8448-00-120-0014-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–1496, दिनांक–22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक–63, दिनांक–11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. वित्त विभाग के संकल्प सं०–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम 04–15 / 2009–9736, दिनांक–19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

9. स्वीकृत कुल **₹43,29,067.00 (तैंतालीस लाख उनतीस हजार सरसठ रू०)** मात्र की निकासी मांग संख्या–48 बजट शीर्ष–2215–जलापूर्ति एवं सफाई, उपमुख्य शीर्ष–02–मल जल तथा सफाई, लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0101–नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड–**48-2215027890101,** विषय शीर्ष–0101.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद से की जाएगी।

10. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय

स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

11. वित्त विभाग के परिपत्र सं०–7355 वि(2), दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस संचिका के पृष्ठ सं०–33/टि० पर दिनांक–29/04/26 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–Note-13/टि० पर दिनांक–05/06/26 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/SWD–05–37/2026 72 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 10/06/26

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/उप सचिव–सह –निकासी एवं व्यय पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखा शाखा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02, एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।